


समर्थन जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2157]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016/भाद्र 11, 1938

No. 2157]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016/ BHADRA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

(आय-कर)

का.आ. 2853(अ).—जबकि, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार पर भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है) पर नई दिल्ली में 11 अप्रैल, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार 1 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के माह के बाद दूसरे माह का पहला दिन है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 3 के खंड (i) में प्रावधान है कि उक्त करार के उपबंध, भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त अनुबंध के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

मालदीव्स गणराज्य की सरकार

के बीच करार।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार पर एक करार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

शामिल कर

1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं:
 - क) भारत के मामले में आयकर, उस पर लगे किसी अधिभार सहित; (इसके बाद इसे “भारतीय कर” कहा जाएगा);
 - ख) मालदीव्स के मामले में, कारोबार लाभ कर अधिनियम (कानून संख्या 5/2011) के तहत अधिरोपित कारोबार लाभ कर (इसके बाद इसे “मालदीव्स का कर” कहा गया है);
3. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए ऐसे ही अथवा काफी हद तक इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो उनके अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद 2

परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;
 - ख) “मालदीव्स” शब्द से अभिप्रेत है - मालदीव्स का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्र तल, उपमृदा (और उसके प्राकृतिक संसाधन) और वायुमंडलीय क्षेत्र सहित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसपर मालदीव्स के कानून तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मालदीव्स के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

- ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा मालदीव्स गणराज्य है;
- घ) “कर” शब्द से संदर्भ के अनुसार “भारतीय कर” अथवा “मालदीव्स के कर” अभिप्रेत हैं;
- ङ.) “किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम” शब्द का अर्थ उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा हवाई सेवाओं के संबंध में दिनांक 24 दिसंबर, 2008 के भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार के बीच करार, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अनुसरण में नामित कोई एयरलाइन है।
- च) “अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात” शब्द से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जब वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- छ) “वायुयान का प्रचालन” शब्द से अभिप्राय किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के वायुमार्ग द्वारा परिवहन के कारोबार से है, जिसमें ऐसे परिवहन के लिए टिकटों या समान प्रलेखों की बिक्री शामिल है;
- ज) “सक्षम प्राधिकारी” शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) मालदीव्स के मामले में, मालदीव्स अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

2. इस करार के प्रावधानों के किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्रयोग में, किसी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसका वही अर्थ होगा जो उस राज्य में करें, जो इस करार के अध्ययन में, से संबंधित कानूनों में उसका अर्थ है।

अनुच्छेद 3

दोहरे कराधान का परिहार

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाली आय दूसरे संविदाकारी राज्य में छूट प्राप्त होगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त एयरलाइन कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय वायु यातायात में वायुयान के प्रचालन से सीधे संबद्ध निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा।

अनुच्छेद 4

अवशिष्ट प्रावधान

दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के मूल्यांकन और कराधान को अधिशासित करते रहेंगे, सिवाय उस स्थिति के, जहां इस करार में स्पष्टतः विपरीत प्रावधान किया गया हो।

अनुच्छेद 5

पारस्परिक करार की विधि

1. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्श का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसा परामर्श दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रारंभ होगा।
3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत कर सकते हैं।

अनुच्छेद 6

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की निवृत्ति के सम्बंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार दी गयी दोनों अधिसूचनाओं में से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित बाद की अधिसूचना दिए जाने की तिथि के दूसरे माह के प्रथम दिन से लागू होगा।
3. इस करार के उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :

- (i) भारत में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में; और
- (ii) मालदीव्स में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 7

समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी राज्य इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

- क) भारत में, जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में;
- ख) मालदीव्स में, जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया गया था, उसके बाद के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में तारीख 11 अप्रैल, 2016 को अंग्रेजी और हिन्दी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से:

मालदीव्स गणराज्य की
सरकार की ओर से:

(अतुलेश जिंदल)
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(अहमद मोहम्मद)
भारत में मालदीव गणराज्य के उच्चायुक्त

[अधिसूचना सं. 77/2016/ फा. सं. 503/4/2013-SO/एफटी&टीआर-II(1)]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2016

(INCOME TAX)

S.O. 2853(E).—Whereas, an Agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives for Avoidance of Double Taxation of Income Derived From International Air Transport was signed at New Delhi on the 11th day of April, 2016 as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the said Agreement);

And whereas, in accordance with paragraph 2 of Article 6 of the said Agreement, the said Agreement entered into force on the 1st day of August, 2016, being the first day of the second month following the month in which later of the notifications of the completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Agreement is given;

And whereas, clause (i) of paragraph 3 of Article 6 of the said Agreement provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**AGREEMENT****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALDIVES****FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME DERIVED FROM****INTERNATIONAL AIR TRANSPORT**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation of income derived from international air transport have agreed as follows:

Article 1**TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.
2. The existing taxes to which this Agreement shall apply are:
 - a) in the case of India, the income-tax including any surcharge thereon (hereinafter referred to as “Indian tax”);
 - b) in the case of Maldives, Business Profit Tax imposed under the Business Profit Tax Act (Law Number 5/2011) (hereinafter referred to as “Maldives tax”);
3. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which are made in their respective taxation laws.

Article 2**DEFINITIONS**

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- b) the term "Maldives" means the territory of the Maldives and includes its territorial sea, continental shelf, sea-bed, sub-soil (and their natural resources) and airspace, as well as any maritime zone in which the Maldives has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the law of the Maldives and in accordance with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the Republic of Maldives as the context requires;
- d) the term "tax" means "Indian tax" or "Maldives tax" as the context requires ;
- e) the term "enterprise of a Contracting State" means an airline designated by the Government of that Contracting State in pursuance of the Agreement dated 24th December 2008, as maybe amended or revised from time to time, between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Maldives relating to air services;
- f) the term "international air traffic" means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State ;
- g) the term "operation of aircraft" means the business of transportation by air of passengers, livestock, goods or mail conducted by an enterprise of a Contracting State, including the sale of tickets and similar documents used for the purpose of transport;
- h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of India, the Minister of Finance, Government of India or his authorized representative;
 - (ii) in the case of Maldives, the Maldives Inland Revenue Authority or its authorized representative.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term used but not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to taxes which are the subject of this Agreement.

Article 3

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be exempted from tax in the other Contracting State.
2. The provisions of paragraph (1) shall also apply to income from the participation in a pool, a joint airline business or an international operating agency.
3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international air traffic shall be regarded as income derived from the operation of such aircraft.

Article 4

RESIDUAL PROVISIONS

The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the assessment and taxation of income in the Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

Article 5

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
2. Consultation may be requested at any time by the competent authority of a Contracting State for the purpose of paragraph 1 of this Article. Such consultation shall begin within ninety days from the date of receipt of any such request by the competent authority of the other Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching agreement under this Article.

Article 6

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in which the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article is given.

3. The provisions of this Agreement shall have effect:

- (i) in India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the Agreement enters into force; and
- (ii) in Maldives, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of January following the calendar year in which the Agreement enters into force.

Article 7

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, by giving notice of termination through diplomatic channels, at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- a) in India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April following the calendar year in which the notice is given;
- b) in Maldives, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of January following the year in which the notice was given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi on this 11th day of April 2016 each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the

Republic of India:

(Atulsh Jindal)

Chairman, Central Board of Direct Taxes

For the Government of the

Republic of Maldives:

(Ahmed Mohamed)

High Commissioner of the Republic of Maldives to India

[Notification No. 77/2016/F.No.503/4/2013-SO/FT&TR-II(1)]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.